उच्च शिक्षामंत्री पटेल ने 62 लाख रुपये से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन

❍ ग्रामीण विकास में महती भूमिका निभा रही शासन की योजनाएं-उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल

रायगढ़। उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल आज पुसौर विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में 62 लाख 22 हजार रुपये के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने इस दौरान ग्रामवासियों को संबोधित करते हुये कहा कि शासन निरंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाओं का प्राथमिकता से निर्माण कर क्रियान्वयन कर रही है। किसान, श्रमिक, आदिवासी परिवारों सबके विकास को ध्यान में रख कार्य किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से धान सहित अन्य फसलों की अधिक कीमत मिली। आदिवासी अंचलों के निवासियों के आजीविका का मुख्य स्त्रोत वनोपज के भी समर्थन मूल्य में खरीदी के दायरे को विस्तार देकर समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी। जिसका लाभ वनवासी परिवारों को मिल रहा है। शासन जहां एक ओर किसानों के लिए योजनाएं चला रही है वहीं गांवों में निवास करने वाले भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी योजना शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए घर-घर तक नल कनेक्शन विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कुपोषण मुक्ति की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। ग्रामीणों एवं महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार आजीविका के साधन मुहैय्या कराने के साथ ही उनकी आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा, जनपद अध्यक्ष सुशील भोय, उपाध्यक्ष गोपी चौधरी, टपरदा सरपंच कमला सिदार, सरपंच रनभाठा ममता छत्तर, सरपंच अमलीभौना सतरूपा चौहान, रूपेन्द्र सिंह ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

उच्च शिक्षामंत्री पटेल आज पुसौर विकासखण्ड के टपरदा, तुपकधार, कठली, रनभांठा, बुनगा गांव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से नागरिकों से सीधा संवाद होता है। जिससे उनकी मांग और समस्याओं को जानने का मौका मिलता है। इससे आगे होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने में मदद मिलती है। इस दौरान विभिन्न ग्रामवासियों की समस्याओं से वे अवगत हुए तथा जल्द उसका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

गौठान मेले में शामिल हुए उच्च शिक्षामंत्री पटेल

उच्च शिक्षामंत्री पटेल अमलडीहा गौठान मेला में शामिल हुए। उन्होंने महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि गौठान के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आज महिला समूह निरंतर आगे बढ़ते हुए सशक्त हो रही है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शासन योजनाएं बनाती है जिसे आपकी मेहनत व लगन से योजनाएं सफल होती है। उन्होंने महिलाओं को कहा कि गौठानों में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित एवं नवाचार के माध्यम से आप निरंतर आगे बढ़ते रहे।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण व भूमिपूजन- उच्च शिक्षामंत्री पटेल ने 62 लाख 22 हजार रुपये के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिनमें 32 लाख 75 हजार रुपये 5 शिलान्यास कार्य में ग्राम बुनगा में 20 लाख रुपये की लागत से प्रा.शा.भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, रनभांठा में 2 लाख 50 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य एवं 3 लाख रुपये की लागत से बोर खनन, ग्राम टपरदा में 6 लाख 45 हजार रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं ग्राम तुपकधार में 80 हजार रुपये की लागत से पानी टंकी निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह 29 लाख 47 हजार रुपये की लागत से लोकार्पण कार्य में ग्राम-तुपकधार में 7 लाख 47 हजार रुपये की लागत से प्रा.शा.भवन परिसर में अहाता निर्माण, ग्राम-कठली में 15 लाख रुपये की लागत से प्रा.शा.भवन निर्माण, ग्राम-टपरदा एवं रनभांठा में 7 रुपये की लागत से सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य शामिल है।

महत्वपूर्ण एवं खास

मनरेगा में मजदूरी दर में 11 रुपए की बढ़ोतरी, अब 204 रूपए मिलेंगे

❍ नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 204 रूपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 204 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 11 रूपए की बढ़ोतरी की गई है।

आवश्यक रेल लाइन मरम्मत कार्य हेतु कोतरा मानवयुक्त समपार फाटक 15 व 16 अप्रैल को रात्रि 9 से प्रात: 7 बजे तक बंद रहेगा

रायगढ़। सहायक मण्डल अभियंता द.पू.म.रेल्वे रायगढ़ के वरिष्ठ सहायक मण्डल अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अप्रैल को रात 9 बजे से 16 अप्रैल को प्रात: 7 बजे तक तथा 16 अप्रैल रात 9 बजे से 17 अप्रैल प्रात: 7 बजे तक रायगढ़ व किरोड़ीमलनगर के बीच स्थित कोतरा मानवयुक्त समपार फाटक क्रमांक-289, कि.मी.-588/13-15 में आवश्यक रेल लाइन के मरम्मत कार्य हेतु सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। जनसामान्य उक्त अवधि में जिंदल अंडर पास के नीचे की सड़क का उपयोग कर सकते है।

रोजगार मेला : 340 आवेदक हुए शामिल

रायगढ़। भारत सरकार, संकल्प परियोजना अंतर्गत निजी क्षेत्र की रिक्तियों के लिए आज जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायगढ़ में किया गया। जिसमें कुल 577 रिक्तियों के लिए 10 नियोजकों द्वारा उपस्थित होकर विभिन्न पदों के लिए चयन की कार्यवाही की गई। रोजगार मेला के विभिन्न पद हेतु कुल 340 आवेदकों द्वारा भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए पंजीयन किया गया। उपस्थित नियोजकों द्वारा अतिशीघ्र अंतिम चयन की स्थिति से अवगत कराया जावेगा।

पं.जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजनान्तर्गत चयन प्रवेश की परीक्षा परिणाम घोषित, 31 मार्च तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़। पं.जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में चयन प्रवेश परीक्षा 27 मार्च 2022 को आयोजित की गयी थी। जिसमें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन पश्चात परीक्षा परिणाम की सूची सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ में चस्पा किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी विद्यार्थी को कोई आपत्ति हो तो वे 31 मार्च 2022 तक कार्यालय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

घरघोडा पुलिस ने नाबालिक से छेड़खानी के आरोपी को भेजा जेल

रायगढ़। आज दिनांक 30.03.2022 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली किशोर बालिका द्वारा अपने परिजनों के साथ थाना घरघोड़ा जाकर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। बालिका बताई कि मेहमानी में घरघोडा के वार्ड क्रमांक 02 अपने रिस्तेदार के यहां गई थी, जहां दिनांक 28.03.2022 को आंगन में अपने रिस्तेदार के साथ बैठी थी। करीब 7.00 बजे शाम को भालुमार निवासी दिलीप मालाकार अचानक वहां आ गया और पत्थर आंगन में फेंकने लगा। तब सब घर अंदर घुसे तो दिलीप मालाकार जबरन घर अंदर घुसकर कमरे के दरवाजा को लात मारकर अंदर घुसा और छेडखानी करने की नियत से धर पकड़ करने लगा जिसे घर की महिलाएं छुडाई। आरोपी दिलीप मालाकार पिता नित्यानदं मालाकार उम्र 21 वर्ष निवासी भालूमार थाना घरघोड़ा के विरूध धारा 354, 456 IPC 8 Pocso Act के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिला संबंधी अपराध पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में एएसआई फेलब्रेड मसीह एवं स्टाफ द्वारा शीघ्र आरोपी गिरफ्तारी के लिये दबिश दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां आरोपी के विरूद्ध जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है।

घरेलू विवाद पर सगे भाई आपस में भिड़े, एक दूसरे पर टंगिया से किये प्राण घातक प्रहार

❒ छाल थाने में दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज, डॉयल 112 वाहन आहत को पहुंचायी अस्पताल

रायगढ़। दिनांक 28.03.2022 रात्रि थाना छाल क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भुंडीबहरी में दो सगे भाई घरेलू झगड़ा विवाद कर एक दूसरे पर टंगिया से वार कर घायल कर दिये थे। घटना की सूचना डॉयल 112 को मिलने पर मौके पर पहुंचकर आहतों को अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना के संबंध में दोनों भाई (आहत/आरोपी) द्वारा एक दूसरे पर मारपीट का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी छाल द्वारा दोनों रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरूद्ध ''हत्या का प्रयास'' का काउंटर एफआईआर दर्ज किया गया है।

आहत के बताये अनुसार ये चार भाई व दो बहन हैं। सबसे बड़ा जगसिंह उसके बाद दो बहनें फिर जयसिंह और अर्जुन सिंह राठिया और सबसे छोटा अरूण सिंह राठिया है। अरूण सिंह को छोड़कर उसकी शादी हो गई है, सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, अरूण अपनी मां के साथ रहता है। अर्जुन सिंह की शादी के समय ये लोग अपने रिस्तेदारों से रूपये उधारी लिये थे। इस उधारी रूपये को जल्द लौटाने जय सिह राठिया अपने बड़े भाई जग सिंहको कहता था जबकि जग सिंह रिस्तेदारों को रूपये लौटाने की जरूरत नहीं कहकर कहता था जिसे लेकर दोनों भाईयों में झगड़ा विवाद होता था। इसी विवाद को लेकर दिनांक 28.03.2022 के रात लगभग 08 बजे दोनों एक दूसरे से गाली गलौच कर टंगिया से मारपीट किये दोनों के सिर, हाथ, कोहनी में चोट आया है। दोनों आहतों को डॉयल 112 अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी छाल निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा दोनों की रिपोर्ट पर क्रमश: अप.क्र. 97, 98/2022 धारा 294, 506(B), 307 IPC का अपराध आरोपी/आहत जगसिह राठिया उम्र 45 साल एवं जय सिह राठिया उम्र 35 साल के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अभी दोनों की स्थिति सामान्य है।

रेल्वे के ग्रुप सी में नौकरी लगाने के नाम पर रिटायर्ड टीचर से 7.50 लाख की धोखाधाड़ी : कई बेरोजगारों के साथ धोखाधडी, सारंगढ़ थाने में एफआईआर

रायगढ़। शिकायतकर्ता/आवेदक सीताराम साहू पिता शंकर लाल साहू उम्र लगभग 65 वर्ष सेवानिवृत्त शिक्षक निवासी ग्राम दानसरा थाना व तहसील सारंगढ के शिकायत पत्र की जांच पर दिनांक 29.03.2022 को अनावेदक नरेश जायसवाल निवासी ग्राम सालर, नारायण प्रसाद तिवारी निवासी घोठला बड़े और नरेन्द्र देवांगन निवासी नई दिल्ली के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

शिकायतकर्ता सीताराम साहू बताया कि परिवार में एक पुत्र शुभम साहू जो वर्तमान में बेरोजगार है, उसके नौकरी की चिंता में गांव के कुछ लोगों से चर्चा किया तब पता चला कि अनावेदकगण नरेश जायसवाल जो प्रभारी सरकारी समिति प्रबंधक दानसरा के पद पर कार्यरत है जो "रेल्वे ग्रुप- सी" में नौकरी लगाने के लिए दिल्ली गया हुआ है। उसी दिनांक 15.07.2018 को नरेश जायसवाल से फोन पर चर्चा किया तब नरेश जायसवाल अपना नियुक्ति उच्चाधिकारियों के माध्यम से करवाने बताकर 4, 5 पोस्ट रिक्त है कहकर बताया कि अगर शुभम साहू को रेल्वे ग्रुप सी में भर्ती करवाना चाहते हैं तो 7,50,000 से 8 लाख देना पड़ेगा। नारायण प्रसाद तिवारी निवासी घोठला बड़े और नरेन्द्र देवांगन तब उसके बातों से प्रभावित होकर रूपये देने के लिये तैयार हो गया। नरेश जायसवाल 4 लाख रूपये दिल्ली के बताये पते पर लेकर आना कहने पर अपने बेटे के साथा दिल्ली गया। दिन दिनदयाल पटेल निवासी बिजूपाली उड़ीसा का भी अपने साले भुवन पटेल निवासी सालर को नौकरी लगाने 4 लाख रूपये लेकर दिल्ली नरेश जायसवाल को देने पहुंचा था। दिल्ली में सन विलेज होटल मार्ग मैट्रो स्टेशन दिल्ली पर नरेश जायसवाल को 4-4 लाख रूपये दिये। जहां अनावेदक नारायण प्रसाद तिवारी भी उपस्थित था। वहीं दोनों दिल्ली के अनावेदक नरेन्द्र देवांगन नाम के व्यक्ति से मिलवाये। नरेश जायसवाल एक सप्ताह के बाद दिनांक 01/08/2018 को प्रशिक्षण पर दानापुर (बिहार) जाने के लिए आदेश दिया और एक रजिस्टर में शुभम साहू एवं अन्य अभ्यार्थियों का हस्ताक्षर लिया गया था। उसके बाद नरेश जायसवाल एवं नारायण प्रसाद तिवारी शेष रकम 3 लाख जमा नहीं करोगें तो रेल्वे ग्रुप सी नियुक्ति नहीं मिलेगा कहकर फोन पर रूपये देने का दबाव बनाते थे। तब दानसरा में सोसायटी में दोनों को 3 लाख रूपये दिया और आदेश पत्र के लिये नारायण प्रसाद तिवारी द्वारा 50 हजार मांगने पर उसके बैंक खाता में दिनांक 18/10/2018 को रूपये जमा कराया। फिर वे लोग दशहरा दिपावली का छुटटी के बाद ट्रेनिंग जाना बोले, ऐसा करते हुये 4-5 माह गुजर गया। आज हो जायेगा कल हो जायेगा कहकर टाल मटोल करते रहे नरेश जायसवाल, नारायण प्रसाद तिवारी और नरेन्द्र देवांगन ठगी एवं धोखाघडी कर 7 लाख 50 हजार रूपये ले लिया गया है। शिकायतकर्ता बताया कि आरोपीगणों द्वारा चार, पांच और लोगों से करीब 24,50,000 रुपए की ठगी की गई है। तीनों आरोपियों पर थाना सारंगढ़ में धारा 419, 420, 34 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

चैत्र नवरात्रि में 14 एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन में अस्थाई ठहराव

रायपुर (आरएनएस)। चैत्र नवरात्रि में रेलवे प्रशासन द्वारा मां बम्लेश्वरी देवी दर्शन हेतु राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्टेशन में 14 एक्सप्रेस गाडिय़ों का अस्थायी ठहराव की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा 02 से 10 अप्रैल तक रहेगी।

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ स्टेशन में नवरात्रि तक अस्थायी रूप से रूकने वाली 14 एक्सप्रेस गाडिय़ों में क्रमश: 12812 हटिया-कुर्ला, 12811 कुर्ला-हटिया, 20813 पूरी-जोधपुर, 20814 जोधपुरी-पूरी, 12851 बिलासपुर-चेन्नई, 12852 चेन्नई-बिलासपुर, 12849 बिलासपुर-पुणे, 12850 पुणे-बिलासपुर, 22827 पूरी-सूरत, 22828 सूरत-पूरी, 12146 पूरी-कुर्ला, 12145 कुर्ला, पूरी, 12151 हावड़ा-कुर्ला व 12151 कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस शामिल है। ज्ञात हो कि डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी।

अनावेदक के सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया स्टे आर्डर-नायब तहसीलदार

❒ आवेदक व अनावेदक के जमीन आपस में नहीं है जुड़े हुए, दोनों के जमीन के बीच में एक और खसरे की भूमि है मौजूद

रायगढ़। रायगढ़ तहसील कार्यालय में निर्माण कार्य के संबंध में स्टे आर्डर निरस्त किए जाने के बारे में नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक पूरन सिंह पिता पाण्डू खडिया निवासी ग्राम पंडरीपानी पूर्व के द्वारा 29 मार्च 2022 को न्यायालय में आवेदन पेश कर स्वयं के जमीन खसरा नंबर 24/1 पर अनावेदकगण के द्वारा दीवाल निर्माण किये जाने से रोकने बाबत प्रस्तुत किया गया, जिस पर मामला क्रमांक 202203043400052/अ-70/21-22 दर्ज कर मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये अनावेदकगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया।

उक्त आदेश की तामिली अनावेदकगण को की गई। अनावेदकगण उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा स्वयं की भूमि खसरा नंबर 22/1 एवं 22/2 पर सीमांकन पश्चात निर्माण किया जाना बताया गया। जिस पर हल्का पटवारी को बुलाया जाकर प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई।

पटवारी से प्राप्त जानकारी, सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि आवेदक और अनावेदकगण की भूमि के मध्य खसरा नंबर 23 भी उपस्थित है, जो कि शासकीय भूमि है। आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित है तथा पटवारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि अनावेदकगण स्वयं की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। सीमांकन प्रतिवेदन एवं हल्का पटवारी के बताये अनुसार अनावेदकगण के विरुद्ध पूर्व में जारी काम रोको आदेश निरस्त किया गया। न्यायालय प्रकरण में न्यायालयीन नियम व प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह : रायगढ़ जिले में 250 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

रायगढ़। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजनान्तर्गत रायगढ़ जिले के विकासखण्डों में आज 250 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। सामूहिक विवाह सामाजिक रीति-रिवाज, वैदिक मंत्रोच्चारण, शहनाईयों की गूंज और बाजे-गाजे के साथ पूरी भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। विकासखण्ड मुख्यालयों में आयोजित विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, महापौर जानकी काटजू, नगर पालिका अध्यक्ष राधा सुनील शर्मा, जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक, बीडीसी रूपा पटेल एवं धरमजयगढ़ में जनपद अध्यक्ष पुनीत राठिया उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने पहुंचकर नव विवाहित जोड़ों को अपना शुभाशीष प्रदान किया।

इस अवसर पर बरमकेला में सामूहिक विवाह में सम्मिलित सारंगढ़ विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े ने सभी नवदम्पत्तियों को उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन के लिये अपना आशीर्वाद दिया और गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी उपहार भी भेंट किए। तमनार के सामूहिक विवाह कार्यकम में शामिल हुए विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिदार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल होकर सभी नव युगल दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सिदार ने कहा कि सामूहिक कन्या विवाह के माध्यम से वैवाहिक आयोजनों में मितव्ययता को बढ़ावा देने के साथ नवदंपत्ति को आगामी जीवन के लिए सहयोग प्रदान करने की पहल की जाती है। रायगढ़ के कार्यक्रम में सम्मिलित हुयी महापौर जानकी काटजू ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस मौके पर उन्होंने सभी नवदंपत्ति जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

इस मौके पर सभी नवदम्पत्तियों को मंगलसूत्र, चांदी की बिछिया, हाथ घड़ी, घर गृहस्थी की सामग्री जैसे बर्तन, कपड़े, आलमीरा, पंखा, घड़ी इत्यादि दिये गये। इस अवसर पर जिला महिला बाल विकास अधिकारी अतुल दाण्डेकर सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी व नव विवाहित दंपत्तियों के परिजन उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480